ड्रा के परिणाम

लॉटरी ड्रा के बाद परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे: https://www.lpgvitarakchayan.in/

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

ड्रॉ में सफल **पैक्स को सूचना की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ लागू सुरक्षा जमा राशि के 10% के बराबर राशि जमा करनी होगी**। संबंधित तेल विपणन कंपनी को राशि जमा करने का तरीका सफल पैक्स को भेजे गए सम्प्रेषण में बताया जाएगा।

पात्र शुल्क

क्र	विवरण	संवर्ग	शुल्क राशि (रु.)
1	शहरी वितरक और रुर्बन वितरक स्थान	खुला	रु. 10,000 /-
2	ग्रामीण वितरक स्थान और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक स्थान	खुला	रु. 8,000 /-

दस्तावेजों की सूची

- पोर्टल पर दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदक पैक्स द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र।
- पैक्स के लिए पंजीकरण की तिथि का प्रमाण (कम से कम 3 वर्ष पूर्व)
- परिवार इकाई के सदस्य द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र - यदि लागू हो।
- पैक्स के शासी निकाय/प्रबंध निकाय से संकल्प जिसमें प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अपनी ओर से आवेदन करने के लिए एक सशक्त व्यक्ति को अधिकृत किया गया हो।
- पारिवारिक इकाई के अलावा सह-स्वामियों से नोटरीकृत शपथ-पत्र - यदि लागू हो।
- **गोदाम के लिए भूमि दस्तावेज**: आवेदक या 'पारिवारिक इकाई' के सदस्य के नाम पर गोदाम के लिए भूमि के "स्वामित्व" से संबंधित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति, पंजीकृत बिक्री विलेख / उपहार विलेख / लीज विलेख (न्यूनतम 15 वर्ष) / सरकारी रिकॉर्ड में म्यूटेशन।

डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कमीशनिंग

- चयनित पैक्स (लेटर ऑफ ईंटेंट (LOI) धारक)/पैक्स द्वारा अधिकृत व्यक्ति को, जैसा भी लागू हो, प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसे 80% योग्यता अंक प्राप्त करके प्री-कमीशनिंग क्विज़/टेस्ट पास करना होगा। यदि LOI धारक/पैक्स द्वारा अधिकृत व्यक्ति क्विज़ में 80% से कम अंक प्राप्त करता है, तो उसे पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा और पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- कमीशनिंग से पहले, चयनित पैक्स को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

कार्यकाल

एचपी गैस (एचपीसी) और भारतगैस (बीपीसी) डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अवधि आरंभिक 10 वर्षों की होगी और उसके बाद हर 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत की जाएगी, जो संबंधित ओएमसी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रदर्शन की जांच और उसके बाद लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा। इण्डेन की अवधि 10 वर्ष होगी और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते में उल्लिखित अधिकारों के अनुसार निर्धारित होने तक जारी रहेगी।

नोट: इस दस्तावेज़ में विस्तृत सारांश प्रदान किया गया है। कृपया पूर्ण विवरण और विस्तृत आवेदन प्रक्रियाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

वैबसाइट : https://www.lpgvitarakchayan.in

स्रोत: lpgvitarakchayan

हमसे संपर्क करें

पता:
सहकारी संस्थाओं हेतु व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पेक), बर्ड, सेक्टर-एच, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ - 226 012, भारत
फोन: +91-522-2421799 (सी-पेक)
ई-मेल: cpec.bird@nabard.org

प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) द्वारा एलपीजी वितरक इकाई की स्थापना

सहकारी संस्थाओं हेतु व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी-पेक) बर्ड, लखनऊ द्वारा संकलित

BIRD

एलपीजी वितरक के रूप में पैक्स

सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने एक बड़ी पहल के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को एलपीजी वितरकों के संचालन की अनुमति दी है। इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नियमित और ग्रामीण खुदरा दुकानों के लिए डीलरों के चयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, साथ ही 18 अगस्त 2023 से एलपीजी वितरकों के चयन के लिए एकीकृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, पैक्स को एलपीजी वितरकों के लिए संयुक्त श्रेणी (सीसी) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके लिए वे तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा जारी विज्ञापनों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एलपीजी वितरण के लिए पैक्स क्यों?

- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पहुंच
- ग्रामीणों के साथ बेहतर संपर्क
- एक स्थिर व्यवसाय मॉडल स्थापित करना
- पैक्स को एक बहु-सेवा केंद्र केंद्र बनाना

पात्रता मानदंड

- भारत में वैध पंजीकरण
- आवेदन की तिथि से पंजीकरण 3 वर्ष पुराना होना चाहिए।
- एलपीजी के भंडारण के लिए स्व—स्वामित्व वाला गोदाम।
- गवर्निंग/मैनेजिंग बॉडी के कर्मचारी या परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई डीलरशिप नहीं होनी चाहिए।
- इस पंजीकृत समिति के शासी निकाय/प्रबंध निकाय/ऐसे किसी अन्य निकाय के सदस्यों पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए
- पैक्स के शासी/प्रबंध निकाय के किसी भी सदस्य पर कानून के तहत दंडनीय नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े कोई भी आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए
- चयन के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शासी निकाय/प्रबंध निकाय से किसी सदस्य को अपनी ओर से आवेदन करने के लिए अधिकृत करने वाला संकल्प
- किसी भी विज्ञापित स्थान के लिए, एक पैक्स केवल एक प्राधिकार दे सकता है
- केवल नियमित पैक्स कर्मचारी ही वितरक का संचालन कर सकता है, अनुबंधित या आउटसोर्स कर्मचारी की कोई भागीदारी नहीं होगी
- इस पंजीकृत समिति के शासी निकाय/प्रबंध निकाय/ऐसे किसी अन्य निकाय के सदस्य जिन्हें कदाचार और/या विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए समाप्त कर दिया गया है, उन्हें किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनी के डीलरशिप/वितरक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना है।

आवेदन करने की प्रक्रिया

सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) जो आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपना आवेदन ऑनलाइन मोड में वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

वैबसाइट :
https://www.lpgvitarakchayan.in/

शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से SBIePay द्वारा प्रदान किए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है)

आवेदन में शामिल चरण:

चरण 1: पोर्टल पर पैक्स को पंजीकृत करें https://lpgvitarakchayan.in/
चरण : 2 पोर्टल में लॉगिन करें
चरण : 3 विज्ञापन का चयन करें
चरण : 4 आवेदन करने के लिए स्थान का चयन करें
Step : 5 आवेदन पत्र भरें
Step : 6 ऑनलाइन भुगतान करें

चयन का तरीका

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए चयन समाचार पत्रों में उचित श्रेणी के तहत विज्ञापन/अधिसूचना के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके किया जाएगा। विज्ञापित स्थानों का विवरण https://www.lpgvitarakchayan.in पोर्टल पर उपलब्ध होगा। पैक्स का चयन लॉटरी आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

लॉटरी की प्रक्रिया

1. जानकारी वितरण:
- योग्य उम्मीदवारों को ईमेल/SMS के माध्यम से भेजी जाएगी।
- इसमें एलपीजी वितरक चयन के लिए लॉटरी के ड्रा की जगह, तिथि, और समय शामिल होगा।

2. उपस्थित और सत्यापन:
- उपस्थिति की रिकॉर्डिंग।
- पहचान प्रमाण की जांच।
- आवेदकों को उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

3. लॉटरी ड्रा:
- केवल उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों की उपस्थिति में किया जाएगा।
- लॉटरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी में शामिल होगा:

क. योग्य उम्मीदवारों की सूची और आवेदन नंबर।
ख. सफल उम्मीदवार का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित और कैप्चर किया गया।
ग. सफल उम्मीदवार का विवरण, क्रमांक और नाम, स्क्रीन पर प्रदर्शित और वीडियो कैमरे द्वारा कैप्चर किया गया।